न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/365

1. मदनलाल पुत्र तेजाराम
2. बाबूलाल पुत्र तेजाराम
3. रूपनारायण पुत्र तेजाराम
4. गोपाल पुत्र तेजाराम
5. लल्लू पुत्र तेजाराम
6. श्रीमती ज्याना पत्नी तेजाराम
7. श्रीमती केशरी पत्नी रामजीलाल
8. मानसिंह पुत्र रामजीलाल
9. राजपाल पुत्र रामजीलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. चमनलाल पुत्र स्व0 श्री देवबक्ष
2. श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व० श्री भूराराम
3. श्योजीराम पुत्र स्व. श्री भूराराम
4. हनुमान पुत्र स्व. श्री भूराराम
5. श्रीमती लडडू पत्नी स्व. श्री जगदीश
6. रेखा पुत्री स्व. श्री जगदीश
7. रूकमणी पुत्री स्व० श्री जगदीश
8. अर्चना पुत्री स्व. श्री जगदीश
9. कविता पुत्री स्व०श्री जगदीश नाबालिग जरिये सरंक्षक माता लडडू देवी
10. श्रीमती सूजा देवी पत्नी स्व०श्री रामनाथ समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०
11. श्रीमती रामफूल पुत्री स्व०श्री रामनाथ पत्नी श्री हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
12. रामूलाल पुत्र घासीराम
13. भवानी पुत्र घासीराम
14. श्रीमती पांची देवी पत्नी महादेव
15. रामअवतार पुत्र महादेव
16. शिवकरण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ
17. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व०श्री जगन्नाथ
18. भोलू पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
19. रामकरण पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
20. रामकल्याण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ
21. रामरतन पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ
22. श्रीमती धापू देवी पत्नी जगन्नाथ
23. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण
24. सुरेश पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

25. श्रीमती सीता पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी सुरेश निवासी जोतडावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
26. श्रीमती रीना पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्री रमेश जाति जाट निवासी ग्राम हाथोज कालवाड रोड जिला जयपुर ।
27. श्रीमती सुनिता पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्री शैतानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम निमेडा तहसील झोटवाडा जिला जयपुर।
28. श्रीमती शाति देवी पत्नी छीतर पुत्री श्री जगन्नाथ निवासी किशनपुरा पोस्ट रेनवाल माजी तहसील फागी जिला जयपुर ।
29. श्रीमती नौरती देवी पत्नी श्री कानाराम पुत्री स्व०श्री जगन्नाथ
30. नाना देवी पत्नी सूजाराज पुत्री स्व०श्री जगन्नाथ जातियान जाट निवासीयान ग्राम चिमनपुरा पोस्ट भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
31. मनभरी देवी पत्नी लालाराम पुत्री स्व० श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम पीपला पोस्ट चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर ।

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जिला जयपुर दिनांक 13.04.2022

उपस्थित–

1. श्री उमेश पारीक, राकेश पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री रामजीलाल चौधरी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री एस.जे.गिरी. वकील रेस्पो0 16 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्तावकील रेस्पो0 32 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –16.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर के निर्णय दिनांक 13.04.2022 एवं संशोधन आदेश दिनांक 13.05.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुरके समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुरमें स्थित खसरा नं 16 से बने हाल खसरा नं. 156/574 रकबा 0.60 है0एवं खसरा नं. 17 से बने हाल खसरा नं. 159 रकबा 0.26 है0 व खसरा नं. 158/575 रकबा 0.35 है0कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन हो जाने के कारण बाबत् दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 13.04.2022 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट मदनलाल पुत्र तेजाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर दिनांक 13.04.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी सह खातेदारो को पक्षकारा नही बनाया एवं प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट की परिधी में नही आता है। खसरा नम्बर 156/574 पर अप्रार्थीगण अर्से दराज से काबिज है जिस पर अप्रार्थीगण से पूर्व से पुख्ता सकानात तथा वर्तमान में विगत 50 वर्षो से पक्के मकानात बनये हुए है जिस पर अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते है। उक्त खसरे की भूमि खसरा नम्बर 159 व 158/575 की भूमि खसरा नम्बर 156/574 से काफी उचाई पर हैं। जिस पर अर्से से प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थी जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना एवं प्रार्थीगणों को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर निर्णय दिनांक 13.04.2022 एवं संशोधन आदेश दिनांक 13.05.2022 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी की साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा न0 16 रकबा 17 बिघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जो प्रार्थी के पूर्व अधिकारी देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना के नाम से जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सवतं 2022 से 2025 मे राजस्व रिकार्ड में अंकित थी । प्रार्थी की उक्त साबिक खसरा न० 16 के हाल खसरा न० 158 रकबा 2.52 है०, खसरा न० 164 रकबा 0.69 है०, खसरा न० 165 रकबा 0.10 है०, खसरा न० 156/574 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.91 है० बने । जिसमे से खसरा न० 156/574 रकबा 0.60 है० अप्रार्थीगण के खातेदारी मे शामील कर दिया गया तथाअप्रार्थीगण के साबिक आरजी कृषि भूमि खसरा न० 17 रकबा 15 बिघा 16 बिस्वा के हाल खसरा न० 161/576/612 रकबा 0.20 है०, खसरा न0 159 रकबा 0.26 है०, खसरा 160 रकबा 0.92 है०, खसरा न० 161 रकबा 0.98 है०, खसरा न० 162 रकबा 1.18 है०, खसरा न० 163 रकबा 0.16 है०, खसरा न० 158 /575 रकबा 0.35 है०, कुल किता 7 कुल रकबा 4.05 है0 बने। जिसमे अप्रार्थीगण के खसरा न० 159 रकबा 0.26 है०, खसरा न० 158/575, रकबा 0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है० प्रार्थी की खातेदारी मे शामिल कर दिये गये प्रार्थी के साबिक खसरा न0 16 से बने हाल खसरा न० 156/674 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। तथा खसरा न० 159 रकबा 0.26 है०, खरारा न० 158/675 रकबा 0.35 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। तहसीलदार सांगानेर के जवाब प्रार्थना पत्र से भी प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त लिपिकीय त्रुटि

कोठीक किये जाने बाबत् प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् ही राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतुप्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नं 16 से बने हाल खसरा नं. 156/574 रकबा 0.60 है0एवं खसरा नं. 17 से बने हाल खसरा नं. 159 रकबा 0.26 है0 व खसरा नं. 158/575 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 की खातेदारीराजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन हो जाने को लेकर है।तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं० 156/574 रकबा 0.60 है0 देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. देह के बजाय घासीराम पुत्र चूनाराम, रामदेव पुत्र चन्दरा, तेजा पुत्र मांगू कौम जाट, सा. देह हि.ब. के नाम मिसल बंदोबस्त संख्या 2040–41 में दर्ज रिकार्ड हो गई हैतथा संख्या नम्बर 159, 158/575 किता 2 रकबा 0.61 हैक्टेयर घासीराम वल्द चूनाराम, रामदेव वल्द चन्दरा, तेजा वल्द मांगू कौम जाट, सा. देह के बजाय देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. देह के नाम मिसल बंदोबस्त संख्या 2040–41 में दर्ज रिकार्ड हो गई। इस संबध में हमारा विनम्र मत है किरेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विधिवत् लिपिकीय त्रुटि की दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् विधिक प्रकिया के तहत् ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कररराजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय जयपुर का निर्णय दिनांक 13.04.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर